



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

### प्रेस नोट

दिनांक- 13.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप डी.पी. एक्ट के मामले में अभियुक्तगण को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास व बीस-बीस हजार रू0 जुर्माने से दण्डित किया गया।

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 123/2020 धारा 498-ए,304-बी,201 भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-संदीप यादव पुत्र राजेन्द्र यादव 2-श्रीमती कमला देवी पत्नी राजेन्द्र यादव 3-राजेन्द्र यादव पुत्र स्वर्गीय दशरथ यादव निवासीगण-पुरानापट्टी थाना-चोलापुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ASJ/FTC-II जनपद वाराणसी द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 498-ए दोषसिद्ध पाते हुए 2-2 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड तथा अन्तर्गत धारा 4 डीपी एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 1-1 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया तथा धारा 304-बी,201 भादवि व 3 डीपी एक्ट में प्रत्येक अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी